**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्याः 114**

**उत्तर देने की तारीखः 20.12.2018**

**विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश**

**\*114. श्री अमर शंकर साबलेः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन विद्यालयों में, जिनका प्रबंधन अब भी बाल सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहा है, विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए ऐसे विद्यालयों के प्रबंधनों को दंडित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के दंड के लिए कोई नियम एवं विनियम बनाए हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

 (क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अमर शंकर साबले द्वारा दिनांक 20.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 114 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऐसे निवारक संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाओं का सुझाव देते हुए दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 के पत्र द्वारा बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राहत एवं निवारण रण-नीतियों के साथ स्कूल प्रणाली में होना चाहिए। इन दिशानिर्देशों में अवसंरचना सहित स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल हैं जिनमें स्कूल भवन का भौतिक ढांचा, खेल का मैदान, जल निकायों, विद्युत और अग्नि सुरक्षा तंत्र, स्कूल परिवहन इत्यादि; पेयजल स्वच्छता, शौचालय स्वच्छता, मध्याह्न भोजन में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को शामिल करते हुए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता; मनोवैज्ञानिक पहलू जिनमें शारीरिक दंड, छेड़खानी/यौन उत्पीड़न को समाप्त करना, स्कूल वातावरण; मॉनीटरिंग में शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारी शामिल हैं। दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वयन तंत्र का भी प्रावधान है।

 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 11 सितम्बर, 2017 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समुचे प्रशासनिक एवं निगरानी तंत्र को स्कूली बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन; और बच्चों के लिए स्कूलों में एक सुरक्षित, संरक्षित और गतिमान वातावरण तैयार करने एवं उसे सुनिश्चित करने के लिए संवेदी बनाने की पुनः सलाह दी है।

 विभाग ने 1 सितम्बर, 2017 के पत्र द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल सुरक्षा नीति संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों के संबंध में पत्र भी लिखे हैं। इस बात पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा तैयार की गई स्कूल सुरक्षा नीति 2016 से संबंधित दिशानिर्देश सांविधिक प्रकृति के हैं और बिना किसी परिवर्तन के इनका अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति (एसएनसी) द्वारा त्रैमासिक सुरक्षा ऑडिट करने के लिए एनडीएमए के दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है जिनमें अग्नी सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं। ये दिशानिर्देश पब्लिक डोमेन में दिए गए हैं और [www.mhrd.gov.in](http://www.mhrd.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा तैयार किए गए स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मैनुअल में भी स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक-शिक्षक संघ, स्कूल प्रबंधन, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मैनुअल के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु विभिन्न प्राधिकरणों की पहचान की है। इनका विवरण पब्लिक डोमेन में दिया गया है और [www.ncpcr.gov.in](http://www.ncpcr.gov.in) पर उपलब्ध है।

 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 में स्कूल शिक्षा की समेकित योजना-समग्र शिक्षा आरंभ की है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) की पूर्व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण और सरकारी स्कूलों में अवसंरचना सुविधाओं के सृजन और प्रसार हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा स्कूल भवनों, शौचालयों और अन्य सुविधाओं के वार्षिक रख-रखाव और मरम्मत जिससे अवसंरचना को अच्छी स्थिति में रखा जा सके, के लिए आवर्ती लागत व्यय करने हेतु सभी सरकारी स्कूलों को एक वार्षिक आवर्ती स्कूल कंपोजिट अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान की राशि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर 25,000 रु. से 1,00,000 रु. प्रतिवर्ष की श्रेणी में है।

(ग) और (घ): इस विभाग ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिन्हें विभिन्न प्रतिभागियों के विचारों/टिप्पणियों को शामिल किए जाने के पश्चात् अंतिम रूप दिया जाएगा।

\*\*\*\*\*